अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या 123/2020 (GCMS 2020/00209) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम कोषाधिकारी, श्री सुरेन्द्र सिंह असीजा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

08.02.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुआ और कथन किया कि उसने जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 14.06.2019 से सात बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई। इसलिए उसने प्रथम अपील इस न्यायालय में पेश की थी, जिसमें दिनांक 23.09.2019 को निर्णय पारित किया गया था कि लोक सूचना अधिकारी ने अपीलार्थ को 1 से 4 बिन्दुओं की सूचना उपलब्ध करवाई है शेष बिन्दु संख्या 5 से 7 की सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर को बिन्दु संख्या 5 से 7 की सूचना नियमानुसार उपलब्ध करवाने हेतु आदेशित किया गया था परन्तु उनके द्वारा बिन्दु संख्या 5 से 7 की सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने यह अवमानना प्रकरण पेश किया है और मिथ्या सूचना देने के कारण अभियोग दर्ज करने, जानबूझकर, मिथ्या, अपूर्ण व दिग्भ्रमित करने वाली सूचना देने पर विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करने एवं अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता के आदेश की अवहेलना करने पर आई.पी.सी. की धारा 188 व 16 के अन्तर्गत अभियोजन करने एवं उसे हुए नुकसान की भरपाई के लिए 10,000/– रूपये दिलवाने की कृपा करें।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 14.06.2020 के द्वारा जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर से सात बिन्दुओं की सूचना चाही थी एवं जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर ने चार बिन्दुओं की सूचना प्रार्थी को लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के माध्यम से दिनांक

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

02.08.2019 को उपलब्ध करवा दी थी परन्तु बिन्दु संख्या 5 से 7 की सूचना उनके द्वारा उपलब्ध न करवाने के कारण प्रार्थी राधेश्याम गोयल ने प्रथम अपील पेश की थी जिसमें इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 54/2019 अनवान् राधेश्याम गोयल बनाम लोक सूचना अधिकारी में दिनांक 23.09.2019 को आदेश पारित कर जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर को बिन्दु संख्या 5 से 7 की सूचना नियमानुसार उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया था जिसकी पालना में कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर ने दिनांक 16.10.2019 को बिन्दु संख्या 5 से 7 का जवाब प्रार्थी को दिया था, जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने यह अवमानना याचिका पेश की है।

आवेदक राधेश्याम ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 14.06.2019 से जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर से बिन्दु संख्या 5 से 7 की निम्न सूचना चाही थी जिसका दिनांक 16.10.2019 को निम्न प्रकार से उत्तर दिया है:

प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में श्रीमान् जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा प्रदत्त अपील निर्णय के अनुसार बिन्दु संख्या 5 से 7 की सूचना निम्नानुसार है :

बिन्दु संख्या	जवाब
5. श्री महेन्द्र छाबड़ा द्वारा स्टाम्प रजिस्टर श्रीमान के कार्यालय में जमा न करवाने की अवस्था में श्रीमान जिला कलक्टर के निर्देशानुसार सम्बन्धित स्टाम्प वेण्डर के विरूद्ध जिला पंजीजन (जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर) के दिशा निर्देशानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने सम्बन्धी सूचना व उसकी प्रमाणित प्रति।	स्टाम्प वेण्डर द्वारा स्टाम्प रजिस्टर जमा न करवाने पर उसके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट करवाने के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं है।
6. जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के दिशा निर्देशानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न करवाने के नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति	इस कार्यालय में इस तरह का कोई अभिलेख संधारित नहीं है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

7. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के उपरोक्त पत्रांक की पालना में एफ.आई. आर. दर्ज करवाकर पालना रिपोर्ट एक सप्ताह में जिस नियम के अधीन पालना रिपोर्ट नहीं दी गई, उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।	इस कार्यालय में इस तरह का कोई अभिलेख संधारित नहीं है।

उक्तानुसार कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रार्थी राधेश्याम को सूचित किया जा चुका है। उक्त सूचनाएं जो दी गई है वो पूर्व अपील संख्या 54/2019 निर्णय दिनांक 23.09.2019 से सम्बन्धित हैं। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** के प्रावधानानुसार यदि प्रार्थी किसी लोक सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त न होने या चाहे अनुसार प्राप्त न होने की दशा में अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता के समक्ष प्रथम अपील दायर कर सकता है और प्रथम अपील के आदेश की अप्रसन्नता पर प्रार्थी माननीय राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील दायर कर सकता है। उक्त बिन्दु संख्या 5 से 7 की सूचना इस न्यायालय की पूर्व अपील संख्या 54/2019 निर्णय दिनांक 23.09.2019 में दिये गये निर्देशों जिसके संदर्भ में प्रार्थी के द्वारा प्रथम अपील के विरूद्ध राज्य सूचना आयोग में कोई द्वितीय अपील पेश की हो, ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया है। **आवेदक राधेश्याम ने दिनांक 16.10.2019 को उक्त दी गई सूचनाओं की अप्रसन्नता से यह अवमानना प्रकरण संख्या 123/2020 पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है:**

उपरोक्त प्रत्यर्थी श्रीमान् सुरेन्द्र सिंह असीजा, कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर जिला कोष कार्यालय द्वारा जानबूझकर आपके अपीलीय आदेश दिनांक 23.09.2019 की सरासर अवेहलना कर सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) व 20(2) की अवहेलना कर,

1. बिना किसी युक्तियुक्त कारण के निरन्तर विफर रहे है।
2. दुर्भावना पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

3. रिकॉर्ड को नष्ट कर दिया है जो प्रार्थना पत्र की विषय वस्तु है।
4. जानबूझकर गलत, अपूर्ण व दिग्भ्रमित करने वाली सूचना दी है।

अनुतोष

1. मिथ्या सूचना देने के कारण अभियोग दर्ज करवाया जावे या प्रार्थी को अभियोग दर्ज करवाने की अनुमति प्रदान की जावे।
2. जानबूझकर, मिथ्या, अपूर्ण व दिग्भ्रमित करने वाली सूचना देने पर विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की सूरत से आदेश पारित किये जावे।
3. श्रीमान् के आदेश की अवहेलना करने पर आई.पी.सी. की धारा 188 व 166 के अन्तर्गत अभियोजन करने की कृपा करें।
4. प्रार्थी को हुए नुकसान की भरपाई के 10,000/— रूपये दिलवाये जाने की कृपा करें।

निम्न हस्ताक्षरकत्ता को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रथम अपील अधिकारी के रूप में लोक सूचना अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील सुनने का अधिकार है इसके अलावा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में प्रथम अपील अधिकारी को किसी प्रकार से किसी लोक सूचना अधिकारी को दण्डित करने के लिए कोई शक्तियां नहीं दी गई हैं। इस हेतु अधिनियम की धारा 20 अवलोकनीय है, जो निम्न प्रकार से है:

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

20. शास्ति – **(1)** जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चिय, करते समय यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकार या राज्य लोक सूचना अधिकारी ने किसी युक्तियुक्त कारण के बिना सूचना के लिए, कोई आवेदन प्राप्त करने से इंकार किया है या धारा 7 की उप–धारा (1) अधीन सूचना के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या द्वेषतापूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है, उस सूचना को नष्ट कर दिया है जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जब तक आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है, दो सौ पचास रूपये की शास्ति अधिरोपित करेगा, तथापि, ऐसी शास्ति की कुल रकम पच्चीस हजार रूपये से अधिक नहीं होगी।

- **परन्तु** यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को उस पर कोई शास्ति अधिरोपित किए जाने से पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।
- **परन्तु** यह और कि यह साबित करने का भार कि उसने युक्तियुक्त रूप से और तत्परतापूर्वक कार्य किया है, यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर होगा।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

(2)जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चित करते समय यथास्थिति केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि यथास्थिति, केन्दीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी किसी युक्तियुक्त कारण के बिना और लगातार सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने में असफल रहा है या उसने धारा 7 की उप–धारा (1)के अधीन निविर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है, या द्वेषतापूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या ऐसी सूचना को नष्ट कर दिया है जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है वह यथास्थिति, ऐसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध उसे लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही के लिए सिफारिश करेगा।

चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रथम अपील अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध जिस प्रकार से आवेदक ने कार्यवाही करने की प्रार्थना की है इस हेतु कोई अधिकारिता नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रकरण स्टेट ऑफ बिहार एवं अन्य बनाम अरविन्द कुमार एवं अन्य निम्न प्रकार से है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

यह है कि **2012 Cr. L.R. (SC) 726 Supreme court of India** के अनवानी प्रकरण स्टेट ऑफ बिहार एवं अन्य बनाम अरविन्द कुमार एवं अन्य के निर्णय दिनांक 23.07.2012 के **पैरा 13** में भी निम्न प्रकार से तय किया गया है :

> "13. In Manish Goel Vs. Rohini Goel., AIR 2010 SC 1099, **this Court has held that generally no court has competence to issue a direction contrary to law nor the Court can direct an authority to act in contravention of the statutory provisions. The Courts are ment to enforce the rule of law and not to pass the orders or directions which are contrary to what has been injected by law.** (See also: Vice Chancellor. University of Allahabad & Ors. Vs. Dr. Anand Prakash Mishra & Ors, (1997) 10 SCC 264 and Karnataka State Road Transport Corporation Vs. Ashrafulla Khan & Ors. AIR 2002 SC 629)"

चूंकि निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को प्रथम अपील अधिकारी के रूप में ही धारा 19(1) के तहत अपील की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार है। जिस प्रकार से प्रार्थी ने अपने अवमानना प्रार्थना पत्र में सम्बन्धित राज्य लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध राहत/कार्रवाही चाही है का क्षेत्राधिकार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को प्रदत्त नही है इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण के उक्त न्यायिक दृष्टांत **2012 Cr. L.R. (SC) 726 Supreme court of India** के अनवानी प्रकरण स्टेट ऑफ बिहार एवं अन्य

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

बनाम अरविन्द कुमार एवं अन्य को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र सक्षम न्यायालय/ऑर्थोटी के समक्ष पेश करने हेतु वापिस लौटाई जानी उचित है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र वापिस लौटाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश का अंकन प्रार्थी के मूल प्रार्थना पत्र पर अंकित किया जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर